MR. CHAIRMAN: All right. Mrs. Alva.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Dowry Prohibition Act, 1961.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I introduce the Bil.

RE: PROPOSED LEGISLATION IN PURSUANCE OF ARTICLE 249 OF THE CONSTITUTION

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr Advani.

श्री लालकृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश): सभापति जी, स्पेशल मेंशन से पहले मैं सदन के बाकी बिजनेस के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। ये तीन दिन जो बढ़ाए गए इस सत्र के, अनशेड्यूल्ड, जिसमें कोई प्रश्नोत्तर काल भी नही होता, वे प्रमुख रूप से इसलिए बढाए गए कि इस सदन ने 249 अनुच्छेद का प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव के अधीन एक विधेयक आने वाला था। अब विधेयक का क्या हुआ, इसके बारे में मैं अपेक्षा करता था कि सरकार अधिकृत रूप से जानकारी सदन को दे। हम अखबारों से पढ़ते रहें कि इस विधेयक के बारे में फिर से विचार हो रहा है, वह बिल विण्टर सेसन में आयेगा या उस प्रस्ताव के बारे में . . . (**व्यवधान**), . . विधेयक के बारे में अभी कुछ विचार हो रहा है। यह अखबार से जानकारी मिले यह सदन के लिए उचित नहीं है। अधिकृत रूप से संसदीय कार्यमंत्री या सदन के नेता या गृहमंत्री या प्रधानमंत्री हमको सूचना दें कि इस मामले में सरकार का विचार क्या है?

सभापति जी, आपको स्मरण होगा कि प्रधान मंत्री के विदेश जाने से पहले सरकार का आग्रह था। कि चाहे एक ही दिन बचा है, उस प्रस्ताव को पास करना चाहिए क्योंकि बिल लाना है, नहीं तो पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। आपके कहने पर उन्होंने आग्रह छोड़ा और स्वीकार किया कि प्रधान मंत्री जी आ जाएंगे उसके बाद प्रस्ताव पास हो सकता है, उसके बाद विधेयक आ सकता है। अब पता नही क्या हो रहा है। इस बीच मे हमने अखबारों में पढ़ा कि अनुच्छेद 249 संविधान का, वह राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार जम्मू-कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। मैं स्वयं इसका स्वागत करता हूं, चाहे विपक्ष के मेरे अन्य साथी इससे सहमत न हों लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मुझे तो खुशी होगी कि पूरा का पूरा हिन्दुस्तान का संविधान वहां पर लागू हो जाय और अनुच्छेद 370 खतम हो जाये। लेकिन मैं यह अपेक्षा अवश्य करता हूं, जब इतना महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया तो इस सदन को क्यों नहीं उसके बारे में बताया गया? यह नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी हुआ है और 31 जुलाई से लेकर के आज तक तीन सप्ताह हो गए हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जो सदन के प्रति समुचित समादर होना चाहिए सरकार का, उसको प्रतिबिम्बित नही करतीं।

इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धारा 249 के अन्तर्गत हमने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत ब्यौरा सदन के सामने सरकार रखे और यह जो राष्ट्रपति महोदय का नोटिफिकेशन है, वह भी सदन के सामने रखे।

. . . (**व्यवधान**) . . .

MR CHAIRMAN: I do not have the power to ask him to make a Statement. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): We want an assurance from you that they will not issue an Ordinance, because we have an apprehension that they will come up with some Ordinance; that is why they are not going to bring forward this Bill.

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Last time also an Ordinance was brought. This time we are sure that there is a scheme behind this (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I am going to ask the Minister of Parliamentary Affairs as to what the business is going to be. Is he bringing forward this Bill or not. It is only after that a discussion can take place.

SHRI SURESH KALMADI: The House will have to be extended again. (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, सदन की भावना को मैं सरकार तक पहुंचा दूंगा और (व्यवधान) सुनिए, जहां तक बिल की बात है (व्यवधान)

SHRI LAL K. ADVANI: It is a shame on his Government that they cannot take a decision. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: If you don't allow the Minister to complete even a sentence, how can he say anything?

श्री सीताराम केसरी : जहां तक बिल का प्रश्न है, उस संबंध में भी आपकी बातों को भेजकर मैं पता लगाकर के बता दूंगा ।

श्री सुरेश कलमाडी : आप भी तो मिनिस्टर हैं, आप नहीं बता सकते ?

श्री सीताराम केसरी : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं . . . (व्यवधान) . . .

SHRI DIPEN GHOSH: I want to have an assurance from you. In fact, we were intending to write a letter to you. Last time, we had an experience that when the Rajya Sabha was adjourned, an ordinance was issued on the night of the same day. We had criticised that. Now, we want an assurance from you.

MR. CHAIRMAN: How can the Chair give an assurance?

SHRI DIPEN GHOSH: The right of the House is in your hands. You alone can protect the House.

MR. CHAIRMAN: It is a matter between the opposition and the Government. The Chair does not come into the picture. If you think that they should not introduce an ordinance, you can criticise them. If they think that they are right in introducing it, they will justify. I will keep the scales even. I will not give an opinion on that.

SHRI DIPEN GHOSH: We have an experience of it. There was an occasion when the Speaker of the Lok Sabha had issued a ruling when the Government used to take recourse to passing ordinances so frequently. It is in the records. Therefore, the right of Parliament and the protection of that right is in the hands of the Presiding Officer. Naturally, we want protection from you.

MR. CHAIRMAN: I take a different view on the matter. It is for the Government and the opposition. You can criticise the Government if they are wrong. The Government can justify itself if they are right. Therefore, we now proceed to Special Mentions.

SHRI SURESH KALMADI: That is what we fear.

REFERENCE TO THE DISCONTENTMENT AND FRUSTRATION AMONGST SCIENTISTS OF I. C. A. R.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : चेयरमैन साहब, आई०सी०ए०आर०, आई०ए० आर० आई०, एन०डी०आर० आई०, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान